327
12/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 13,16,19

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि : 12 जुलाई, 1988 ई०
शुक्रवार, तिथि : 15 जुलाई, 1988 ई०
बुधवार, तिथि : 20 जुलाई, 1988 ई०

---

2. क्या यह बात सही है कि उक्त जीप की मरम्मत के लिए पन्द्रह हजार रुपये का आवंटन मार्च 1986 में जिला प्रशासन को दिया गया।

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है ते उक्त जीप को कबतक मरम्मत नहीं कराने का क्या औचित्य है?

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की जीप मरम्मती हेतु 15,000/- रुपये का आवंटन इस विभाग द्वारा नहीं दिया गया है;

3. वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 464 दिनांक 20-2-80 के द्वारा जिला शिक्षा पदा० गोपालगंज को एम०भी०आर्ट० से गाड़ी को चेक कराने हेतु निदेश दिया गया है। एम०भी०आई० के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

विद्यालय भवनों की मरम्मत

1692. श्री सतीश चन्द्र झा : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : 1. क्या यह बात सही है कि सहरसा अनुमंडल के अन्तर्गत कन्या उच्च विद्यालय, पड़री, फुलदाय कन्या उच्च वि०, वनगांव, उच्च विद्यालय, चैनपुर, दुर्गा उच्च विद्यालय, रकिया एवं उच्च विद्यालय, मैनहा खोनहा के भवनों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है

डा० नागेन्द्र झा : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।

और किसी भी क्षण भवन के धराशायी होने का डर बना रहता है।

2. यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अगले वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय भवनों की मरम्मति कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों?

2. जिला पदाधिकारी को निदेश दे दिया गया है कि उ० वि० के भवन निर्माण/मरम्मति एवं जीर्णोद्धार के लिए जो राशि उन्हें भेजी गयी है या भेजी जा रही है, उससे प्राथमिकता तय कर प्रासंगिक विद्यालय के जीर्णोद्धार पर भी कार्रवाई करें।

पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति

1694. श्री लखन सोरेन : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु दिसम्बर 83 में विज्ञापन निकाला गया, तदनुसार संथालपरगना प्रमंडल को छोड़कर शेष सभी प्रमंडलों में नियुक्ति का कार्य दिसम्बर 87 में पूरा कर लिया गया है, यदि हां तो संथालपरगना प्रमंडल में नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण है तथा क्या सरकार

डा० नागेन्द्र झा : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। आयुक्त, दुमका प्रमंडल द्वारा किसी कारण वश अन्तर्वीक्षा नहीं ली जा सकी। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति में विलम्ब नहीं किया गया है।

भारत सरकार की पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत वेतनमान में पर्यवेक्षक का पद नहीं रखा गया है। इसी कारण वेतनमान पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति करना संभव नहीं है।